पत्रांक – 04/विविध (वि०व्य०)–532/2024 (खंड–1) ..../

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अरवा राजकमल,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
देवघर।

राँची, दिनांक– / /2024 ई०।

विषय :– **राजकीय श्रावणी मेला–2023 एवं इसके पूर्व के वित्तीय वर्षों में श्रावणी मेला के अवसर पर विधि–व्यवस्था संधारण में हुए व्यय के लंबित भुगतान हेतु राशि रू० 9,27,79,672/– (नौ करोड़ सताईस लाख उनासी हजार छः सौ बहत्तर रुपये) मात्र का आवंटन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक उपायुक्त, देवघर के पत्रांक–616/नजारत, दिनांक 22.11.2023 के साथ संलग्न पुलिस अधीक्षक, देवघर के पत्रांक–3096/ले०शा०, दिनांक–14.11.2023 तथा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय, झारखण्ड के अंकेक्षण प्रतिवेदन के आलोक में राजकीय श्रावणी मेला– 2023 एवं इसके पूर्व के वित्तीय वर्षों में श्रावणी मेला के अवसर पर विधि–व्यवस्था संधारण में हुए व्यय के लंबित भुगतान हेतु राशि रू० 9,27,79,672/– (नौ करोड़ सताईस लाख उनासी हजार छः सौ बहत्तर रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. राशि का उपयोग सेमिनार/समारोह/कार्यशाला के अंतर्गत विधि व्यवस्था संधारण से संबंधित कार्यो की संतुष्टि के पश्चात् विपत्रों के भुगतान के लिए किया जाएगा।

3. उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2023–24 के स्थापना व्यय के बजट शीर्ष "2055–पुलिस–001–निदेशन और प्रशासन–02–विधि व्यवस्था पर व्यय–03–प्रशासनिक व्यय–21–सेमिनार/समारोह/कार्यशाला" विपत्र कोड–22S2055000102000321 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के **उपायुक्त, देवघर** अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। राशि की निकासी संबंधित **जिला कोषागार, देवघर** से की जाएगी।

5. पुलिस अधीक्षक कार्यालय, देवघर द्वारा प्रस्तुत उक्त वित्तीय वर्षों में श्रावणी मेला के अवसर पर विधि–व्यवस्था संधारण में हुए व्यय की लंबित राशि के विपत्रों का भुगतान आवंटित राशि से किया जाएगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय का अभिश्रव संधारित करेंगे और व्यय का सत्यापन महालेखाकार कार्यालय से कराकर प्रतिवेदन गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के बजट शाखा को उपलब्ध करायेंगे।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आवंटित राशि का विचलन अन्य कार्यो के लिए नहीं करेंगे तथा व्यय न होने वाली (बचत की) राशि को इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व प्रत्यर्पित करने की कार्रवाई करेंगे।

कृ०पृ०उ०

8. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र ससमय महालेखाकार, झारखण्ड एवं विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।

9. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि० (2), दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

10. राशि की निकासी में झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 के नियम 74 का अनुपालन सख्ती से किया जाएगा।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(अरवा राजकमल)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 04/विविध (वि०व्य०)–532/2024 (खंड–1) ....176..../ राँची, दिनांक– 11/03 /2024 ई०।

प्रतिलिपि – महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखण्ड, राँची/पुलिस अधीक्षक, देवघर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, देवघर/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/3/24

सरकार के सचिव।